क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लॉट नं. 2 ए रोड़ नं. 6 इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा–324005
Phone No. 0744-2490873 Email-rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांक–राप्रनिम / क्षेकाको / निविदा / जन–325 / 22–23 / 2444 दिनांकः–09/03/2023

बोली सूचना संख्या 02 / 2022–2023

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा प्रतिष्ठित विनिर्माताओं के अधिकृत विक्रेताओं से कार्यालय में एयर कण्डिशनर की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु निर्धारित उपापन प्रक्रिया के तहत निम्न विवरणानुसार बोलियां (दो लिफाफो में तकनीकि एवं वित्तीय) आंमत्रित की जाती है :–

क. स.	विवरण	विस्तृत विवरण
1	**सामग्री का विवरण :–** 1. Air Conditioner :- 08 Unit **SPECIFICATION** 1.6 Ton Capacity wall mounted split AC with wall stand, BEE rated ISEER 3.99,Air Flow(CMH)-1350 m^3/hr, Rated Cooling Capacity-5925 Watts, Copper wire length five meters, drain pipe 10 feet, 100% Copper pipe in Condenser coil and the Evaporator coil, 01 year warranty on machine and 05 year warranty on compressor, 03 star energy efficiency.	एयर कण्डिशनर्स की आपूर्ति मय इंस्टालेशन
2	बोली की अनुमानित लागत मय समस्त कर	490000 / –
3	बोली प्रतिभूति राशि (9800 / –रूपये) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम डीडी / बैंकर चैक के रूप में संलग्न करना होगा।	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम डीडी / बैंकर चैक के रूप में संलग्न करना होगा।
4	बोली प्रपत्र शुल्क क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम नगद / डीडी / बैंकर चैक के रूप में संलग्न करना होगा।	500 / – + जीएसटी 18 प्रतिशत कुल रूपये 590 / –
5	बोली प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	10 / 03 / 2023 कार्यालय प्रारम्भ समय से
6	बोली प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	20 / 03 / 2023 मध्याहन पश्चात् 2:00 बजे तक
7	तकनीकी एवं वित्तिय बोली खोलने की तिथि एवं समय	20 / 03 / 2023 मध्याहन पश्चात् 4:00 बजे

बोली से सम्बन्धित विस्तृत सूचना http://sppp.raj.nic.in एवं http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb देखा / डाउनलोड एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के कार्यालय समय दिनांक 10 / 03 / 2023 से 20 / 03 / 2023 (राजकीय अवकाश के अलावा) मध्याहन पश्चात् 2:00 बजे तक उपरोक्तानुसार कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। किसी भी बोली को स्वीकृत / अस्वीकृत / निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

– Sd –

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, कोटा

1. आईटी प्रभारी, रा. प्र. नि. म. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निविदा को मण्डल विभागीय वेबसाईट एवं http://sppp.raj.nic.in पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावे।
2. नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय रा. प्र. नि. म. कोटा।
3. रोकड़पाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिड प्रपत्र सम्बन्धित फर्म / एजेन्सी / इच्छुक व्यक्ति को नियमानुसार उपलब्ध करावें।
4. सम्पादक महोदय, दैनिक नवज्योति, कोटा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा संख्या 02 / 2022–2023 को स्थानीय स्तर पर डी.आई.पी.आर. दरों पर न्यूनतम साईज में समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करे।
5. रक्षित पत्रावली, राप्रनिम, कोटा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, कोटा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूं/करते है कि मैने/हमने जिन सामग्री/सामानों/उपकरणों के लिये बोली दी है, उनका/उनके/मै/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सील वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूं/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा एवं निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद किया जा सकेगा।

स्थान : –

दिनांक :–

बोली दाता के हस्ताक्षर :–

बोलीदाता का नाम :–

फर्म का नाम :–

मोबाईल नम्बर :–

अम

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

तकनीकी बोली प्रपत्र

क्र. स.	विवरण	
1	बोलीदाता फर्म का नाम	
2	पता	
	दूरभाष	
	ई–मेल	
3	प्रार्थी (उत्तरदायी व्यक्ति का नाम) और फर्म में उसकी स्थिति	
4	फर्म का पंजीयन कमांक (पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
5	पैन नम्बर (प्रति संलग्न करे)	
6	जी.एस.टी.(प्रति संलग्न करे)	
7	बोली दाता विनिर्माता कंपनी की अधिकृत विकेता है अथवा नही। (प्रति संलग्न करे)	
8	विनिर्माता कंपनी का सेवा केन्द्र कोटा नगर में है अथवा नही विवरण अंकित करें।	
9	निविदा प्रपत्र रूपये 590/– का डीडी/बैंकर चैक संलग्न है अथवा नही उसका विवरण।	डीडी/बैंकर चैंक संख्या दिनांक बैंक का नाम
10	02 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि का विवरण	डीडी/बैंकर चैंक संख्या दिनांक बैंक का नाम

मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा की बोली सूचना संख्या .... दिनांक ....की निविदा संबंधी नियम एवं शर्तो की पालना करने को पूर्णतः सहमत है।

बोली दाता के हस्ताक्षर :–

बोलीदाता का नाम :–

फर्म का नाम :–

मोबाईल नम्बर :–

वित्तिय निविदा प्रपत्र

अ य
क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

क. स.	विवरण	ब्रांड का नाम	मात्रा	दर प्रति नग **(Rate Including all taxes, octroy, transportation and installation with GST)**
1	सामग्री का विवरण :– **SPECIFICATION** 1.6 Ton Capacity wall mounted split AC with wall stand, BEE rated ISEER 3.99,Air Flow(CMH)-1350 m^3/hr, Rated Cooling Capacity-5925 Watts, Copper wire length five meters, drain pipe 10 feet, 100% Copper pipe in Condenser coil and the Evaporator coil, 01 year warranty on machine and 05 year warranty on compressor, 03 star energy efficiency.		8	राशि अंकों में :– राशि शब्दों में :–

बोली दाता के हस्ताक्षर :–

बोलीदाता का नाम :–

फर्म का नाम :–

मोबाईल नम्बर :–

Terms and Conditions of Bid and Contract

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

Important Instructions : The law relating to procurement "Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" (hereafter called the Act) and The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 (hereafter called the Rules) under the said Act. Which are available on the State Public Procurement portal httpps://sppp.rajasthan.gov.in. therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and his bidding document. The provisions of the Act and Rules shall prevail.

नियम एवं शर्ते :–

नोटः– बोलीदाता बोली प्रपत्र को भरने एवं हस्ताक्षर करने से पूर्व इन नियमों एवं शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ लेवे।

1. बोली में दिये गये निर्देशानुसार बोलीदाता को अपनी तकनीकी एवं वित्तिय बोली अलग–अलग सील बन्द लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी।
2. प्रथमतः तकनीकी निविदा खोली जायेगी तथा तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तिय निविदा पर विचार किया जावेगा। तकनीकी निविदा के साथ वित्तिय निविदा प्रस्तुत नही की जावे अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
3. एक बार दरें प्रस्तुत किये जाने पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नही की जा सकेगी और दरों को अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य होगा।
4. बोली अनुसार वर्णित मापदण्ड अनुसार सामग्री प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। इस सम्बन्ध में बोलीदाता द्वारा सामग्री की निर्धारित गुणवता एवं विशिष्टिकरण की होने से सम्बन्धी एक प्रमाणपत्र देना होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

5. बोलीदाता द्वारा दी गयी दरों में सामान को कार्यालय के भण्डार तक आपूर्ति करने का किराया, इस्टालेशन एवं रखरखाव का खर्चा शामिल होगा।

6. सामान को कार्यालय के भण्डार तक लाने की समस्त जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी। कार्यालय में आपूर्ति एवं इस्टालेशन के दौरान कोई क्षति होती है तो इसके लिये बोलीदाता जिम्मेवार होगा।

7. आपूर्ति एवं इस्टालेशन कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में करना अनिवार्य होगा अन्यथा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम भाग के प्रावधानों के अनुसार Liquidity damage की वसूली की जावेगी।

8. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि को एजेन्सी/फर्म की कार्य क्षमता एवं कार्य प्रणाली के परीक्षण एवं निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा।

9. बोली पेन से भरी जायेगी। बोली में कोई भी संशोधन एवं काट छाट नही की जाये। यदि निविदा में कोई सुधार किया गया है तो वह स्पष्ट, प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए।

10. बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसे बोलीदाता की विभागीय बोली के नियमों एवं शर्तो की पालना की सहमति मानी जायेगी।

11. विभाग के पास यह अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बगैर कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा एवं बोली में वर्णित कार्य की पूरी/आंशिक मात्रा के आदेश दे सकेगा।

12. यदि वाद–विवाद उत्पन्न होने की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, कोटा (राजस्थान) होगा।

13. बिल का भुगतान सफल आपूर्ति एवं इस्टालेशन होने के आधार पर किया जावेगा। सफल बोलीदाता द्वारा माल सप्लाई के उपरान्त बिल 02 प्रतियों में मय जीएसटी नम्बर के साथ क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम प्रस्तुत करने होगे। विभाग द्वारा आपूर्ति एवं इस्टालेशन संतोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा एवं कार्य में कमी रहने पर आनुपातिक रूप से कटौती की जावेगी।

14. नियमानुसार आयकर एवं अन्य कर की कटौती की जा सकेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

15. उक्त कार्य को अन्य किसी को भी सबलेट नही किया जावेगा।

16. उपरोक्त नियम एवं शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं सामान्य वितिय एवं लेखा नियम के समस्त नियम एवं शर्ते लागू होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

राप्रनिम, कोटा

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लिया है एवं समझ लिया है तथा मै/हम उपर्युक्त समस्त शर्तो से प्रतिबन्धित रहूंगा/रहेगे।

बोली दाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहरः–

बोलीदाता का नाम :–

फर्म का नाम :–

मोबाईल नम्बर :–